न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 119/10

1. कल्याण आत्मज गोपी आयु 60 वर्ष जाति भील निवासी ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. नन्दू पत्नी भैरू जाति भील निवीस कांकड का दह मजरा मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. बाल्या
4. छोटा
5. रणजीता
6. गोपाल्या
7. उदा पिसरान मांग्या जातियान भील निवासीगण माणकचौक तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. हजारी आत्मज मांग्या दत्तक पुत्र घीस्या जाति भील निवासी ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. काल्या
2. हुकमा
3. गोपाल पिसरान देबी जाति भील निवासीगण ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्रीमती कन्या बाई पत्नी भवानी शंकर जाति भील निवासी हाल प्रेमनगर कोटा जिला कोटा ।
5. सुरेश आत्मज भवानी शंकर जाति भील निवासी हाल प्रेमनगर कोटा जिला कोटा ।
6. संजू पुत्री भवानी शंकर जाति भील हाल निवासी प्रेमनगर कोटा ।
7. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांक: 28.06.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2010 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कुल किता 12 की कुल रकबा 37 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । पूर्व पुरूष हमीर जी के जीवन, रतन, फीता, देवा संताने हुई और जीवन जी के कजोड, देवा, घीस्या और गोपी संतानें हुईं । कजोड के एक मात्र पुत्री नन्दू वादी संख्या 2 तथा बरधा लाऔलाद फौत हुआ तथा खाना लाऔलाद फौत हुआ । मांग्या के 06 बेटे वादी कम 3 से 8 पैदा हुए तथा सांवला लाऔलाद मरा तथा देवा और देवी के प्रतिवादी कम 1 से 3 काल्या, हुकमा, गोपाल हुए और घीसा के वर्तमान में नानी, खानी सहित वादीगण कम 09 व 10 हुए तथा गोपी लाऔलाद फौत हुआ । फौत होने से पूर्व वादी कम 1 कल्याण को पुत्र बनाकर अपने पास रखा । कल्याण गोपी का गोदपुत्र हुआ तथा गोपी के हिस्से की भूमि 1/4 वादी कल्याण को प्राप्त हुई जो अभी कब्जे काश्त में है । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कराये और अपने– अपने हिस्से की भूमि विभाजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करावें । वादी कम 1 गोपी का गोदपुत्र होने के कारण उसके हिस्से की समस्त भूमि को अपने नाम कराये व खाते खुलवाये ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पर पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि दौराने दावा प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर ले तो अथवा वादीगण को फसल बोने, लेने से रोके तो स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । उक्त भूमि में बराबर–बराबर से बंटवारा किया जावे गोपी का गोद पुत्र होने के कारण वादी कल्याण को उसके हिस्से की भूमि उसके खाते दर्ज की जावे । यदि प्रतिवादीगण दौराने वाद कब्जा कर ले तो उन्हें बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.09.2010 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.09.2010 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि पुराने गोद के बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज निष्पादित किया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है केवलमात्र गोद देने वाले एवं गोद लेने वाले माता–पिता के मध्य गोद लेने एवं देने का रिवाज साबित किया जाना एवं गोद लेने व देने की घोषणा किया जाना पर्याप्त है । वादी कल्याण ने स्वयं तथा गवाहान के बयान इस गोद बाबत् करवाये हैं जिनका प्रतिवादीगण ने कोई खण्डन नहीं किया है । अपीलान्ट वादी हजारी स्वर्गीय घीस्या के जाति रिवाज के अनुसार बचपन में ही गोद रख दिया था इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय में वादी कम 9 व 10 ने भी स्वीकार किया था । वादी हजारी की साक्ष्य के खण्डन में अधीनस्थ न्यायालय में किसी भी प्रतिवादी का बयान नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से दावा वादीगण खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.09.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था, जिसमें कथन किया कि गोपी लाऔलाद फौत हो गया था वादी कल्याण उनके भाई का पुत्र था जिसे गोपी ने गोदपुत्र के रूप में स्वीकार किया था । कजोड के पुत्र कल्याण, मांग्या एवं भूरा थे जिनमें से कल्याण गोपी के गोद चला गया और मांग्या के 6 पुत्र अपीलान्ट क्रम 3 लगायत 8 हैं जिनमें से हजारी आत्मज मांग्या घीस्या आत्मज जीवन के गोद चला गया था परन्तु घीस्या की जमीन कैली बाई बेवा घीस्या के नाम दर्ज की गई जबकि कैली बाई एवं उनकी पुत्रियॉ खानी, नानी, भूरी एवं जमुना का देहान्त हो चुका है । अपीलान्ट हजारी आत्मज मांग्या गोदपुत्र घीस्या आत्मज जीवण के 1/4 हिस्से पर काबिज काश्त रहा है । गोपी आत्मज जीवण का नाम खाते में यथावत दर्ज चला आ रहा है जबकि गोपी आत्मज जीवन का देहान्त हो चुका है और उनका गोदपुत्र अपीलान्ट कल्याण उनका वैधानिक अधिकारी है । गोप्या आत्मज जीवन के भवानी शंकर नाम का कोई पुत्र नहीं है । कन्या बाई, सुरेश, एवं सन्जू भवानीशंकर के विधवा पत्नी पुत्र एवं पुत्री होना बताते हैं और स्वर्गीय गोप्या के उत्तराधिकारी होना बताते हैं जो असत्य है । गोप्या आत्मज जीवन की विवाहित पत्नी मन्नी बाई थी जो गोप्या के जीवनकाल में ही एक अन्य व्यक्ति के नाते चली गई थी । श्रीमती मन्नी बाई के स्वर्गीय गोप्या के कोई संतान नहीं हुई । रेस्पोडेन्ट कन्या बाई, सुरेश एवं सन्जू ने भी एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जो दावा संख्या 07/2005 के साथ समेकित किया गया । रेस्पोडेन्ट के खिलाफ दिनांक 19.03.2010 को एक तरफा कार्यवाही की गई । अपीलान्ट ने 03 गवाहों के बयान कराये, गोद का पंचनामा पेश किया । प्रतिवादी ने इसका कोई खण्डन नहीं किया फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है । गोद के लिए कोई विधिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है । गोद लेने एंव देने का रिवाज साबित किया जाना आवश्यक है जो साबित किया है। अपीलान्ट वादी हजारी घीस्या के गोद गया था इस तथ्य को वादी संख्या 9 और 10 ने भी स्वीकार किया है जिसका खण्डन नहीं हुआ है फिर भी दावा खारिज किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट कल्याण एवं अन्य ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 का पेश किया जिसमें कल्याण को गोपी का गोदपुत्र बताते हुए उनको 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करने एवं विभाजन की प्रार्थना की गई है ।

9. एक अन्य दावा कन्या बाई एवं अन्य ने स्वयं को गोप्या के पुत्र भवानीशंकर का उत्तराधिकारी बताते हुए विभाजन का पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावों को समेकित किया है और कन्याबाई के उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की है । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2059–62 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 230 से मृतक गोप्या आत्मज जीवन के स्थान पर पुत्र वधु कन्या बाई पौत्री सन्जू कुमारी पौत्र भवानीशंकर का नाम दर्ज किये जाने का नोट अंकित है परन्तु वादीगण अपीलान्ट के द्वारा इन तीनों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के कारण वो

विभाजन के दावे में आवश्यक पक्षकार थे । आवश्यक पक्षकार के अभाव में विभाजन का दावा मेन्टेनेबल नहीं है ।

10. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा स्वयं को गोपी का गोदपुत्र बताते हुए हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया गया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम भूरया, मांग्या, कल्याण पिसरान कजोड के रूप में 1/4 हिस्से में सहखातेदार के रूप में दर्ज है । यदि वादी कल्याण स्वयं को गोपी का गोदपुत्र मानते हैं तो वह सिविल न्यायालय से स्वयं को गोपी का गोदपुत्र घोषित कराने के लिए स्वतंत्र है । गोद के प्रश्न को तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है ।

11. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वाद वादीगण खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2010 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 119/10

1. कल्याण आत्मज गोपी आयु 60 वर्ष जाति भील निवासी ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. नन्दू पत्नी भैरू जाति भील निवीस कांकड का दह मजरा मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. बाल्या
4. छोटा
5. रणजीता
6. गोपाल्या
7. उदा पिसरान मांग्या जातियान भील निवासीगण माणकचौक तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. हजारी आत्मज मांग्या दत्तक पुत्र धीस्या जाति भील निवासी ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. काल्या
2. हुकमा
3. गोपाल पिसरान देबी जाति भील निवासीगण ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्रीमती कन्या बाई पत्नी भवानी शंकर जाति भील निवासी हाल प्रेमनगर कोटा जिला कोटा ।
5. सुरेश आत्मज भवानी शंकर जाति भील निवासी हाल प्रेमनगर कोटा जिला कोटा ।
6. संजू पुत्री भवानी शंकर जाति भील हाल निवासी प्रेमनगर कोटा ।
7. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2010 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 07/दावा/2005

1. कल्याण आत्मज गोपी आयु 60 वर्ष जाति भील निवासी ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. नन्दू पत्नी भैरू जाति भील निवीस कांकड का दह मजरा मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बाल्या
4. छोटा
5. रणजीता
6. गोपाल्या
7. उदा पिसरान मांग्या जातियान भील निवासीगण माणकचौक तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. हजारी आत्मज मांग्या दत्तक पुत्र घीस्या जाति भील निवासी ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. कानी विधवा सांवला भील आयु 40 वर्ष निवासी माधोपुरा तहसील मालगढ जिला भीलवाडा।
10. खानी पत्नी हुकमा भील आयु 45 वर्ष निवासी माधोपुरा तहसील मालगढ जिला भीलवाडा ।

——वादी

बनाम

1. काल्या
2. हुकमा
3. गोपाल पिसरान देबी जाति भील निवासीगण ग्राम बन्धा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. लदू आत्मज नामालूम भील गोत्र ढसाना आयु 55 वर्ष निवासी बन्धा का खेडा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2010 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 28.06.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2010 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा